तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो की तामील में
27/25	पत्रावली पेश हुई आज S,D.O. साहब दौरे पर, दिनांक काय म पक्षों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा Date 30/1/2025 को पेश हो।	
30/1/25	पत्रावली पेश हुई आज S,D.O. साहब दौरे पर, दिनांक काय म पक्षों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा Date 5/2/2025 को पेश हो।	
5/2/25	पत्रा पेश हुई। कु.उप०। पत्रा वास्ते बहस उप० पत्रा दिनांक 10/2/25 को पेश हो। (रविप्रकाश RAS) उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)	
10/2/25	पत्रा पेश हुई। कु.उप०। पत्रा वास्ते बहस उप० पत्रा दिनांक 17/2/25 को पेश हो। (रविप्रकाश RAS) उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)	
17/2/25	पत्रावली पेश हुई। तरफ पेशे. वकील अपीलीयन्ट तथा प्रार्थी अ.नि. पत्रा पर बहस किया गया। बहस पत्र प्रस्तुत किया गया। लेखा विवरण व्यवस्थापक किया। बहस प्रार्थी का मूल वाद विचाराधीन है। वादग्रस्त आराजी के मूल वाद वाद है पत्रावली, वनपीयन एवं लोक सेवकों पत्र बिन्दु विश्लेषण विवेचन करते के बाद ही गुणावगुण निर्णय होगा। तब तक राजस्व प्रकरण के न्यायालय द्वारा के जारी अन्तरिम आराजी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 26/4/22 को मूल वाद निर्णय तक पुख्ता किया जाना उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम आराजी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 26/4/22 को मूल वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता है। पत्रावली केवल कुमार छोटू नन्दन के नाम की वाद लम्बील [illegible] दाखिल खारिज दफात लेखा) अदा किया जाये। (रविप्रकाश RAS) उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)	